राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ.17(ई)ग्राविप/प्र.2/संस्था/2009/04 जयपुर, दिनांकः 03.01.2022

:: कार्य सम्पादन हेतु स्थाई आदेश ::

राजस्थान कार्यपद्धति नियमों के नियम 21 के अंतर्गत कार्य सम्पादन हेतु पूर्व में जारी स्थाई आदेश क्रमांकःएफ.17(ई)ग्राविप/प्र.2/14 /दिनांक 04.01.2017 को अतिक्रमित करते हुए संशोधित आज्ञा एतद् द्वारा दी जाती है कि शासन सचिवालय के पंचायती राज विभाग से संबंधित कार्य (इन नियमों के परिशिष्ठ–ब में उल्लेखित कार्यों के अतिरिक्त) का निष्पादन निम्नानुसार किया जावेगा :–

क्र. सं.	कार्य	जाँच करने वाला तथा निपटान करने वाला अधिकारी		अधिकारी जिसके द्वारा निपटाया जावेगा				
				निदेशक/ आयुक्त	शासन सचिव (पं.राज)	प्रमुख शासन सचिव (ग्रा.वि. एवं पं राज)	राज्यमंत्री	मंत्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नवीन नीति निर्धारण	संयुक्त शासन सचिव	–	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
2.	नीतिगत परिवर्तन	संयुक्त शासन सचिव	–	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
3.	वार्षिक व पंचवार्षिक योजना की संरचना	संयुक्त शासन सचिव	–	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
4.	मंत्रीमण्डल ज्ञापन	संयुक्त शासन सचिव	–	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
5.	नियम, अधिनियमों (सेवा नियम संबंधित) व अधिसूचनाओं का संशोधन	संयुक्त शासन सचिव	–	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
6.	अन्तर्राज्यीय मामले	संयुक्त शासन सचिव	–	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
7.	अन्तर्विभागीय समन्वयन	संयुक्त शासन सचिव	–	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
8.	केन्द्र सरकार से नीतिगत मामलों से संबंधित प्रकरण	संयुक्त शासन सचिव	–	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
9.	ग्राम सभा एवं मीटिंग	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	–	हाँ	–	–	–	हाँ
10.	पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की स्थापना, गठन एवं संरचना	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	–	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ

क्र. सं.	कार्य	जाँच करने वाला तथा निपटान करने वाला अधिकारी		अधिकारी जिसके द्वारा निपटाया जावेगा				
				निदेशक / आयुक्त	शासन सचिव (पं.राज)	प्रमुख शासन सचिव (ग्रा.वि. एवं पं राज)	राज्यमंत्री	मंत्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	पंचायती राज संस्थाओं में स्थानों एवं पदों का आरक्षण	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	–	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	
12.	पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल और निर्वाचन	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	–	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
13.	जिला प्रमुख / उप जिला प्रमुख के निलम्बन / अयोग्य घोषित / परिनिर्णय लेखबद्ध / सदस्यता समाप्ति से संबंधित कार्य	संयुक्त शासन सचिव	–	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
14.	प्रधान / उप प्रधान के निलम्बन / अयोग्य घोषित / परिनिर्णय लेखबद्ध / सदस्यता समाप्ति से संबंधित कार्य	संयुक्त शासन सचिव	–	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
15.	सरपंच के निलम्बन / अयोग्य घोषित / परिनिर्णय लेखबद्ध / सदस्यता समाप्ति से संबंधित कार्य	संयुक्त शासन सचिव	–	हाँ	हाँ	–	–	हाँ
16.	पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्यों की अयोग्यता के कारण सदस्यता की समाप्ति	संयुक्त शासन सचिव	–	हाँ	हाँ	–	–	हाँ
17.	उप सरपंच / वार्ड पंच के निलम्बन / अयोग्य घोषित / परिनिर्णय लेखबद्ध / सदस्यता समाप्ति से संबंधित कार्य	संयुक्त शासन सचिव	–	हाँ	हाँ	–	–	हाँ
18.	पंचायती राज अधिनियम में वर्णित पंचायती राज संस्थाओं के कृत्य और शक्तियों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश / मार्गदर्शन	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	–	हाँ	–	–		हाँ

क्र. सं.	कार्य	जाँच करने वाला तथा निपटान करने वाला अधिकारी		अधिकारी जिसके द्वारा निपटाया जावेगा				
				निदेशक/ आयुक्त	शासन सचिव (पं.राज)	प्रमुख शासन सचिव (ग्रा.वि. एवं पं राज)	राज्यमंत्री	मंत्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत की स्थाई समितियाँ	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	–	हाँ	–	–	हाँ	
20.	पंचायत आबादी भूमि के विक्रय का अनुमोदन एवं पंचायती राज संस्थाओं के लिये भूमि की अवाप्ति	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	–	हाँ	हाँ	–		हाँ
21.	पंचायत समिति एवं जिला परिषद की निधि का नियोजन	वित्तीय सलाहकार	–	हाँ	–	–		हाँ
22.	पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक बजट	वित्तीय सलाहकार	–	हाँ	–	–		हाँ
23.	लेखा और संपरीक्षा	वित्तीय सलाहकार	–	हाँ	–	–		हाँ
24.	उधार और निक्षेप निधियाँ	वित्तीय सलाहकार	–	हाँ	–	–		हाँ
25.	ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक)/वरिष्ठ सहायक/ कनिष्ठ सहायक/ वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/हैण्डपंप मिस्त्री एवं फिटर्स के संस्थापन प्रकरण	संयुक्त शासन सचिव	–	हाँ	–	–	हाँ	
26.	हैण्डपम्प मिस्त्रियो के पदों का सृजन	संयुक्त शासन सचिव	–	हाँ	–	–	हाँ	
27.	योजनाओं के दिशा–निर्देश व मॉनिटरिंग	संयुक्त शासन सचिव (आयोजना)	–	हाँ	–	–		हाँ
28.	विकास अधिकारी/अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता एवं अन्य समस्त राजपत्रित अधिकारियों के संस्थापन एवं स्थानांतरण संबंधी कार्य	संयुक्त शासन सचिव	–	हाँ	–	–		हाँ
29.	अराजपत्रित कर्मचारी/ अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, प्रगति प्रसार अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता के स्थानान्तरण संबंधी कार्य	संयुक्त शासन सचिव	–	हाँ	–	–		हाँ

क्र. सं.	कार्य	जाँच करने वाला तथा निपटान करने वाला अधिकारी		अधिकारी जिसके द्वारा निपटाया जावेगा				
				निदेशक/ आयुक्त	शासन सचिव (पं.राज)	प्रमुख शासन सचिव (ग्रा.वि. एवं पं राज)	राज्यमंत्री	मंत्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	विधानसभा प्रश्न/आश्वासन ध्यानाकर्षण/विशेष उल्लेख आदि लोक सभा/राज्य सभा प्रश्न	संयुक्त शासन सचिव			हाँ	हाँ		हाँ
31.	राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् सेवा का गठन	संयुक्त शासन सचिव	–	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
32.	किसी पंचायती राज संस्था के संकल्प को रद्द या निलंम्बित करने की शक्ति	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	–	हां	हां	हां		हां
33.	पंचायती राज संस्थाओं को विघटित करने की सरकार की शक्ति	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	–	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
34.	विघटन के परिणाम	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	–	हाँ	हॉ	–	–	हां
35.	अधिशेष निधियों को विनिहित करने की शक्ति	वित्तीय सलाहकार	–	हाँ	–	–	–	हाँ
36.	प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, सरपंच एवं उप सरपंच के विरूद्व परिनिर्णय एवं निलम्बन के पुनरावलोकन	संयुक्त शासन सचिव	–	हाँ	हाँ	–	–	हाँ
37.	राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की शक्ति	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	–	हाँ	हाँ	–		हाँ
38.	शक्तियों का प्रत्यायोजन	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	–	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
39.	राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण और जांच	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	–	हाँ	हाँ	–		हाँ
40.	किसी पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में परिवर्तन	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	–	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
41.	राजस्थान पंचायती राज नियम/अधिनियम बनाने की शक्ति	संयुक्त विधि परामर्शी	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	हाँ	हॉ	हॉ		हाँ

क्र. सं.	कार्य	जाँच करने वाला तथा निपटान करने वाला अधिकारी		अधिकारी जिसके द्वारा निपटाया जावेगा				
				निदेशक / आयुक्त	शासन सचिव (पं.राज)	प्रमुख शासन सचिव (ग्रा.वि. एवं पं राज)	राज्यमंत्री	मंत्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.	राजस्थान पंचायती राज अधिनियमो / नियमो में संशोधन	संयुक्त विधि परामर्शी	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
43.	जिला परिषद की उप विधिया बनाने एवं पंचायतों की उप विधियां विरिचित करने की शक्ति	संयुक्त विधि परामर्शी	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
44.	पंचायत समिति और जिला परिषद को उप विधिया बनाने की शक्ति	संयुक्त विधि परामर्शी	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
45.	दो पंचायत समितियों, एक पंचायत समिति तथा नगर मण्डल के सदस्यो के बीच अथवा एक जिला परिषद और नगर मण्डल के बीच का विवाद	संयुक्त विधि परामर्शी	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	
46.	प्रत्येक जनगणना के बाद स्थानो की अवधारणा	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	–	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
47.	राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी और कर्मचारी वृन्द	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	–	हाँ	–	–	हाँ	
48.	जिला आयोजना की समिति	संयुक्त शासन सचिव (आयोजना)	–	हाँ	–	–		हाँ
49.	वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट	संयुक्त शासन सचिव (आयोजना)	–	हाँ	–	–		हाँ
50.	दण्डापराधो पर पचांयती राज संस्थाओं के लोकसेवको पर अभियोजन चलाने की स्वीकृति राजपत्रित अधिकारी	संयुक्त शासन सचिव	–	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
51.	दण्डापराधो पर पंचायती राज संस्थाओं के लोकसेवको पर अभियोजन चलाने की स्वीकृति अराजपत्रित कर्मचारी	संयुक्त शासन सचिव	–	हाँ	–	–	–	–

क्र. सं.	कार्य	जाँच करने वाला तथा निपटान करने वाला अधिकारी		अधिकारी जिसके द्वारा निपटाया जावेगा				
				निदेशक / आयुक्त	शासन सचिव (पं.राज)	प्रमुख शासन सचिव (ग्रा.वि. एवं पं राज)	राज्यमंत्री	मंत्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.	प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, सरपंच, उपसरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के सदस्य से संबंधित अभियोजन स्वीकृति	संयुक्त शासन सचिव	–	हां	हां			हां
53.	दीवानी दावों व रिट याचिकाओं में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति	उप विधि परामर्शी	संयुक्त विधि परामर्शी	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	–	–	–	
54.	न्यायिक वादों में नियुक्त अधिवक्ताओं का परिवर्तन	संयुक्त विधि परामर्शी	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	हाँ	–	–	–	
55.	संबंधित न्यायालयों में जवाब दावा प्रस्तुत करना	उप विधि परामर्शी	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	हाँ	–	–	–	
56.	अवमानना प्रकरण, न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरणों में अपील / नो अपील संबंधी कार्य	उप विधि परामर्शी	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	हाँ	हाँ	हाँ	–	
57.	गांव के आबादी क्षेत्र का विनियमन / भूमि के उपयोग परिवर्तन संबंधित कार्य	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	–	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
58.	पर्यटन इकाईयों के लिए भूमि आवंटन, भू–उपयोग परिवर्तन एवं नियमितिकरण	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	–	हाँ	–	–		हाँ
59.	पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण से संबंधित कार्य	संयुक्त शासन सचिव (विधि)	–	हाँ	–	–		हाँ
60.	पंचायती राज प्रारम्भिक शिक्षा से संबंधित नियुक्ति एवं अन्य कार्य	संयुक्त शासन सचिव	–	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ

नोट :–

1. इस स्थायी आदेश के अनुसार मंत्री द्वारा सामान्यतः निपटाये जाने वाले मामलों को मुख्यालय से मंत्री की अनुपस्थिति में जहाँ मंत्री के लौटने का इंतजार करना, मामले की प्रकृति को देखते हुए, यह सम्भव नहीं हो, तो शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव उनकी अनुपस्थिति में निपटा सकेंगे, बाद में मंत्री के ध्यान में ऐसे प्रकरण लाये जाने चाहिये ।

2. स्थायी आदेशों के मुताबिक शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव (ग्रा.वि. एवं पं. राज) की अनुपस्थिति में मामलों को निदेशक/आयुक्त निपटा सकते है।
3. निदेशक/आयुक्त की अनुपस्थिति में इन स्थायी आदेशों के अन्तर्गत निपटाये जाने वाले मामलों को संयुक्त शासन सचिव ऐसे आवश्यक प्रकृति के मामलो को (अर्जेन्ट केसेज) निपटा सकते हैं।
4. प्रत्येक मामले में जो नोट के क्रमांक 1 से 3 तक के निपटाये गये प्रकरणों की शीघ्रातिशीघ्र स्थायी आदेश के अन्तर्गत मामलों को निपटाने में सक्षम स्तर के अधिकारी से अनुमोदन कराया जायेगा ।
5. इस अनुसूची में जिन मामलों का जिक्र नहीं आया है, ऐसे महत्वपूर्ण मामलों को मंत्री के ध्यान में लाया जावे।
6. वे समस्त मामले जिनमें वर्तमान कानूनों, स्थायी अथवा सामान्य आदेश और राज्य सरकार की स्वीकृति नीति में शिथिलता दी गई हो/दी जानी हो, मंत्री को प्रस्तुत की जावे ।
7. जो आईटम इसमें वर्णित नहीं हो, जिनका स्थायी आदेशों में विवरण नहीं है, उन्हें शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव (ग्रा.वि.एवं पं.राज)/मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जावे ।
8. वित्तीय निहितार्थ (Financial Implications) प्रकरणों की पत्रावलियां, 50 लाख रुपये या उससे अधिक की निविदा से संबंधित पत्रावलियां वित्तीय सलाहकार के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत की जावेगी।

(रमेश चन्द मीना)
मंत्री
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
(पंचायती राज विभाग) जयपुर।

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थः—

1. मुख्य सचिव, राजस्थान, सरकार, जयपुर ।
2. राज्यपाल महोदय के सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
3. मुख्यमंत्री जी के सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
10. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
11. संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
12. मंत्रीमण्डल सचिव (व्यवस्था एवं पद्धति)
13. वित्त विभाग (नियंत्रण) को 6 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
14. सहायक शासन सचिव, कार्मिक (ख—3) सुरक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
15. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. सचिवालय की समस्त शाखायें।
17. विभाग की समस्त शाखायें।
18. A.C.P. सेल(मु) को अपलोड हेतु।

प्रमुख शासन सचिव
पंचायती राज विभाग